न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

पत्रावली आवेदन पत्र संख्या : 15/2022
जी0सी0एम0एस0 नं0 –2022/34

1. दयाकिशन । पुत्रगण भूराराम, जाति जांगिड़ नि0 सुन्दरपुरा तहसील
2. सांवरमल । दांतारामगढ़, जिला सीकर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र पोखरमल।
2. भागीरथ पुत्र जगदीश।
3. मन्नी पत्नी जगदीश।
4. मंजू पत्नी भागीरथ।
   समस्त जाति गुर्जर नि0 सुन्दरपुरा तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।
5. तहसीलदार, दांतारामगढ़, जिला सीकर।
6. उप तहसीलदार, पलसाना तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

अप्रार्थीगण,

उपस्थित :– 1. श्री प्रभातीलाल, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. ,, हरफूल सिंह खीचड़, अप्रार्थी सं0 1 से 4 की ओर से।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम।

:: निर्णय :: दिनांक :: 25/2/2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 709/775 रकबा 1.25 है0 ख0नं0 710 रकबा 0.57 है0 ख0नं0 825/695 रकबा 0.0430 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.8630 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 मंढा मदनी तह0 दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियां आवेदकगण की खातेदारी शुदा व कब्जा शुदा भूमियां है। भूमि ख0नं0 333, 332, 333/439, 334, 335, 336, 338, 339, 341, 342, 343 कुल किता 11 कुल रकबा 6.44 है0 वाके ग्राम चक सुन्दरपुरा तहसील दांतारामगढ़ में अवस्थित है, जो कि अनावेदकगण के भूमियां वर्णित मद सं0 2 के उत्तर दिशा में अवस्थित है। आवेदन पत्र की मद सं0 2 में वर्णित भूमियां ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 मंढा मदनी व आवेदन पत्र की मद सं0 3 में वर्णित भूमियां चक सुन्दरपुरा प0ह0 लढाणा में अवस्थित है। उक्त भूमियां अलग–अलग राजस्व ग्राम में अवस्थित होने के कारण आवेदकगण ने अपनी भूमियों के उत्तर दिशा में पुख्ता पूर्वजों के समय मिट्टी का डोल

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

लगा सीमा कायम कर रखी है। अनावेदकगण अपनी भूमियों की आड में आवेदकगण की भूमियों की मेड को आये दिन खुर्द–बुर्द करते रहते है ओर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अपने पशुओं के द्वारा आवेदकगण की फसल को नुकसान पहंचाते रहते है तथा मौके पर आवागमन का रास्ता कायम करने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि अनावेदकगण अपने कुउद्देश्य में सफल हो गये तो आवेदकगण को असीम हानि होगी जिसकी तलाफी भविष्य में किसी भी प्रकार से नहीं होगी इसलिए आवेदकगण अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वादग्रस्त संपदा वर्णित मद सं0 2 की आवेदकगण की भूमियों की उत्तरी दिशा की नींव–सींव को खुर्द बुर्द नहीं करे, नया रास्ता कायम नहीं करे व बेदखल करने, कब्जा काश्त में उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी करने से बाज रहे। प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को मद सं0 6 अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र अं0 धारा 212 आर0टी0एक्ट न्यायालय हाजा में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 जरिये वकील उपस्थित आए । अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 ने जरिये वकील जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1 स्वीकार हैं। मद सं0 2 में वर्णित कृषि भूमियां ख0नं0 709/775 रकबा 1.25 ख0नं0 710 रकबा 0.57 है0 ख0नं0 825/695 रकबा 0.0430 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.8630 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 मंढा मदनी तह0 दांतारामगढ,सीकर में होना स्वीकार है। उक्त भूमियां प्रार्थीगण के कब्जा शुदा होने के कथन गलत अंकित किया गया है। अतः अस्वीकार है। उक्त भूमियों पर लीलावती पत्नि जयदीप का कब्जाकाश्त है व वर्तमान में लीलावती व प्रार्थीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड से संबंधित वाद विवाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। मद सं0 4 जिस तरह से तहरीर की गयी है गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 1 में वर्णित भूमियों पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ना ही वर्तमान है इसलिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद होने का प्रश्न ही नहीं होता है। वाद की मद सं0 1 में वर्णित भूमियों पर पूर्व में जयदीप का कब्जा काश्त था। वर्तमान में लीलावती पत्नि जयदीप का कब्जा काश्त है इसलिए प्रार्थीगण का गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर जवाबदाता के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ना ही किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। मद सं0 5 में प्रार्थीगण द्वारा मनगढंत एंव झूंठे तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है इसलिए अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी भी प्रकार का आदेश माननीय न्यायालय हाजा से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मद सं0 6 जिस प्रकार से तहरीर है गलत होने से अस्वीकार है। आवेदन पत्र की मद सं0 2 में वर्णित भूमियों पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए प्रार्थीगणर अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।मद सं0 6 गलत होने से अस्वीकार है। जवाब आवेदन पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई,मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र एंव जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,जवाब प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 709/775 रकबा 1.25 है0 ख0नं0 710 रकबा 0.57 है0 ख0नं0 825/695 रकबा 0.0430 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.8630 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 मंढा मदनी तह0 दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियां आवेदकगण की खातेदारी शुदा व कब्जा शुदा भूमियां है। भूमि ख0नं0 333, 332, 333/439, 334, 335, 336, 338, 339, 341, 342, 343 कुल किता 11 कुल रकबा 6.44 है0 वाके ग्राम चक सुन्दरपुरा तहसील दांतारामगढ़ में अवस्थित है, उक्त भूमियां अलग–अलग राजस्व ग्राम में अवस्थित होने के कारण आवेदकगण ने अपनी भूमियों के उत्तर दिशा में पुख्ता पूर्वजों के समय मिट्टी का डोल लगा सीमा कायम कर रखी है। अनावेदकगण अपनी भूमियों की आड में आवेदकगण की भूमियों की मेड को आये दिन खुर्द–बुर्द करते रहते है ओर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अपने पशुओं के द्वारा आवेदकगण की फसल को नुकसान पहंचाते रहते है तथा मौके पर आवागमन का रास्ता कायम करने पर आमादा है। यदि अनावेदकगण अपने कुउद्वेश्य में सफल हो गये तो आवेदकगण को असीम हानि होगी।

चूंकि प्रार्थीगण द्वारा वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है,जिसका अंतिम निस्तारण गुणावगुण व मेरिट के आधार पर होना है। इस प्रकार से प्रकरण में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि ख0नं0 709/775 रकबा 1.25 है0 ख0नं0 710 रकबा 0.57 है0 ख0नं0 825/695 रकबा 0.0430 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.8630 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 मंढा मदनी, तहसील दांतारामगढ़,सीकर में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner